भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *287
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

टेली-लॉ 2.0 सेवाएँ और नोटरी पोर्टल का आधुनिकीकरण

***287. श्री विभु प्रसाद तराई :**

श्री सुरेश कुमार कश्यप :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए नोटरी पोर्टल से कागज रहित आवेदन और डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है, यदि हाँ, तो नए पोर्टल का ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;
(ख) अब तक नई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जुड़े कुल नोटरियों की संख्या कितनी है और 'न्याय बंधु' के अंतर्गत टेली-लॉ 2.0 सेवाओं के शुभारंभ के बाद से कितने नागरिक इससे लाभान्वित हुए हैं ;
(ग) क्या कानूनी सहायता संबंधी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सहायता उपकरणों को समाविष्ट करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) न्याय बंधु प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कितने अवैतनिक अधिवक्ता पंजीकृत हैं और निपटाए गए मामलों का स्वरूप क्या है ;
(ङ) विशेषकर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में टेली-लॉ 2.0 का विस्तार करने में आने वाली चुनौतियों क्या हैं ; और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है ; और
(च) इस मंच के माध्यम से जुड़े सेवारत अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और अधिवक्ताओं के लिए कौन-सा प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन ढांचा स्थापित किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

'टेली-लॉ 2.0 सेवाएं और नोटरी पोर्टल आधुनिकीकरण' के संबंध में श्री बिभु प्रसाद तराई और श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *287 जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है । इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के सत्यापन और नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है । नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है । वर्तमान में, केवल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता और नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से संबंधित मॉड्यूल लाइव है । नोटरी पोर्टल बनाने का उद्देश्य सरकार के कामकाज के डिजिटलीकरण की सरकारी नीति के अनुरूप है ।

(ख) : तारीख 28.07.2025 तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नवनियुक्त नोटरियों को 34865 डिजिटल हस्ताक्षरित प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं । न्याय बंधु के अधीन टेली-लॉ 2.0 सेवाओं के प्रारंभ से 31 जुलाई, 2025 तक, कुल 14,557 नागरिक इससे लाभान्वित हुए हैं ।

(ग) : न्याय विभाग ने न्याय सेतु नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैटबॉट विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल विधिक सहायक है, जो विधिक जानकारी और मुकदमे-पूर्व सेवाओं का प्रसार करता है । सुगमता और दक्षता बढ़ाने के लिए, इस सुविधा को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने की योजना है ।

(घ) : 31 जुलाई, 2025 तक न्याय बंधु ऐप पर रजिस्ट्रीकृत निशुल्क वकीलों की संख्या 9381 है और निपटाए गए मामलों की प्रकृति में महिला और बाल सुरक्षा, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि सहित सिविल और आपराधिक विधियां सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं ।

(ङ) : दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में टेली-लॉ 2.0 के विस्तार में कई चुनौतियां हैं, जिनमें कम डिजिटल साक्षरता, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, भाषाई विविधता, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं और दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित विधिक वृतिकों की सीमित उपलब्धता सम्मिलित है । इन चुनौतियों से निपटने के लिए, 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायकों को तैनात किया गया है, जिन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में लाभार्थियों को मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह प्राप्त करने और उन्हें उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायता करने की आज्ञा दी गई है । दिशा स्कीम के अधीन, वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2024-2025 की अवधि के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए आबंटित कुल बजट 80.82 करोड़ रुपया है, जिसमें से 31.03.2025 तक 62.21 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है ।

(च) : टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों को निःशुल्क मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान करने के लिए न्याय सहायकों और पैनल वकीलों की सेवाएं ली जाती हैं । न्याय सहायकों और पैनल वकीलों, दोनों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात् नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाता है । पैनल वकीलों का प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे गुणवत्तापूर्ण मुकदमा-पूर्व सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हों, क्षेत्रीय भाषाओं और केंद्रीय, राज्य और स्थानीय विधियों, नियमों और विनियमों से अच्छी तरह परिचित हों । तकनीकी, प्रक्रियात्मक और विधिक पहलुओं को सम्मिलित करते हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नियमित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

******